हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 02 अप्रैल 2025, समय 1305 (5 मिनट)

वक़्फ़ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित होने के लिए पेश किया गया ।

सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा के लिए 8 घंटे रखे गए हैं। ज़रूरी होने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के हित में है। इस कानून में पहले भी संशोधन हुए हैं । उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है । विधेयक का विरोध करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का विरोध करेगी।

जनता दल युनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा कि उनकी पार्टी सदन में विधेयक का समर्थन करेगी।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस विधेयक से गरीब और पिछड़े मुसलमानों को लाभ होगा।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरे विपक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक का

उद्देश्य समाज में ध्रुवीकरण पैदा करना है और विपक्ष इसका विरोध करेगा।हमारे संवाददाता ने बताया है कि संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है।

****

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी ।इन में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लोड के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुल घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 78% उपभोक्ता 2 किलोवाट तक लोड वाले हैं, लगभग 16% 2-5 किलोवाट के बीच और केवल 6% 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले हैं।सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नई दरें उपभोक्ता केंद्रित हैं। नई दरें श्रेणी-I के लिए 2 रुपये 20 पैसे और 51 से 100 यूनिट के बीच 2 रुपए 70 पैसे तय की गई हैं ।आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित 4,520 करोड़ रुपये से राजस्व अंतर को घटाकर 3,262 करोड़ रुपये कर दिया है किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, मीटर कनेक्शन वाली कृषि श्रेणी के लिए शुल्क में कमी की गई है। इसमें लोड के अनुसार मासिक न्यूनतम शुल्क को मौजूदा 200 रुपये प्रति बीएचपी प्रति वर्ष से घटाकर 180 और 144 रुपये प्रति बीएचपी प्रति वर्ष किया गया है। मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाई टेक हाइड्रोपोनिक्स, हाई टेक एरोपोनिक्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि उद्योग व किसान उत्पादक संगठनों के लिए 20 किलोवाट से ऊपर एक नया टैरिफ स्लैब पेश किया गया है। इस निर्णय के साथ, इन इकाइयों के लिए टैरिफ अब 6.50 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। इससे पहले, 20 किलोवाट से अधिक लोड वाली किसान उत्पादक संगठन इकाइयों को एलटी आपूर्ति श्रेणी के लिए लागू शुल्क के साथ बिल दिया जा रहा था।इसके अलावा, एचटी आपूर्ति श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं के लिए परिणामी शुल्क को पूरे उत्तरी क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों में एचटी आपूर्ति श्रेणी के लिए प्रचलित दरों से नीचे रखा गया है।